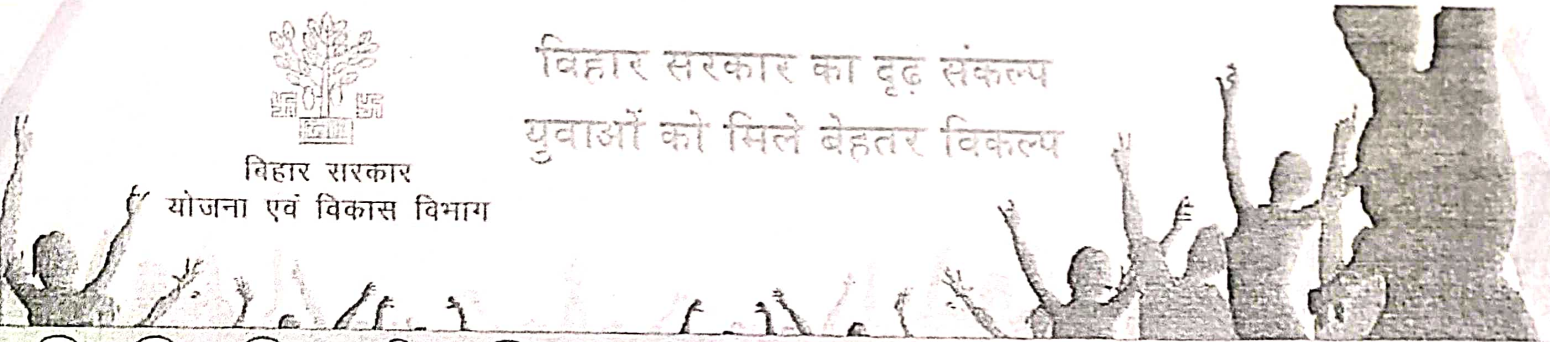

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

बिहार सरकार का दृढ़ संकल्प
युवाओं को मिले बेहतर विकल्प

विकसित बिहार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

के तहत

अबतक लाखों युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता की राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में की जा चुकी है।

- **यदि आप** 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं एवं आपकी आयु 20–25 वर्ष के बीच हैं तथा आप आगे की पढ़ाई नहीं किए हैं और न ही कर रहे हैं तो रोजगार तलाशने के दौरान अधिकतम दो वर्षों तक आर्थिक मदद के रूप में सरकार द्वारा 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता के लिए आवेदन कर सकते है।
- इस योजनान्तर्गत लाभान्वित युवक/युवतियों को **"कुशल युवा कार्यक्रम"** के तहत भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का निःशुल्क प्रशिक्षण भी उपलब्ध करायी जा रही है।
- इस योजना के तहत Online आवेदन करने हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

योजना की विस्तृत जानकारी

Toll Free No. : 18003456444 पर सम्पर्क करें।

अथवा

वेबसाइट www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in या www.planning.bih.nic.in

अथवा

जिलों में अवस्थित जिला निबंधान एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) के May I Help You काउंटर पर प्राप्त की जा सकती है।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभार्थियों के लिए

आवश्यक सूचना

यदि स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभार्थी अधिकतम 24 माह का स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो

(क) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपना Re-Confirmation Message अवश्य भेजें।

(ख) कुशल युवा कार्यक्रम के तहत तीन माह का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें

Re-Confirmation Message भेजने की प्रक्रिया अब और सरल

9223166166

स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थी निम्न सरलीकृत प्रारूप में अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर से **C-DAC** के दूरभाष संख्या **9223166166** पर **Re-Confirmation Message** भेज सकते हैं।

BH space दें SHA space दें Y या N

Mobile में message type करने पर इस तरह दिखेगा

यदि हाँ (Y) तो > **BH SHA Y** अथवा नहीं (N) तो > **BH SHA N**

नोट :- यदि लाभार्थी स्वयं सहायता भत्ता लेना चाहते हैं तो Message में Y लिखे और यदि भत्ता नहीं लेना चाहते हैं तो N लिखें।

- **Re-Confirmation Message** में **Registration Number** लिखने की आवश्यकता नहीं है।
- स्वयं सहायता भत्ता योजना के जिस लाभार्थी का मोबाईल नम्बर **Unique** नहीं है वे जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर उपस्थित होकर अथवा **MNSSBY Portal (Https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in)** पर अपने **Login Credentials** का उपयोग कर अपने मोबाइल नम्बर को **Unique** बना सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिए निकट के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र या Toll Free No. : 18003456444 पर सम्पर्क करें।

बिहार सरकार

बिहार सरकार के 7 निश्चय में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना | मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना | कुशल युवा कार्यक्रम
के तहत आवेदन करने की ऑनलाईन प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन हेतु वेब पोर्टल पर निबंधन की प्रक्रिया

(1) वेब पोर्टल www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जायें।
(2) New Applicant Registration को Click करें।
(3) अपना नाम, मोबाईल नं०, E-mail ID एवं आधार नम्बर को दर्ज करें।
(4) Send OTP पर Click करें।
(5) दर्ज मोबाईल नं० एवं E-mail ID पर अलग-अलग OTP प्राप्त होगा।
(6) मोबाईल नं० और E-mail ID पर प्राप्त दोनों OTP दर्ज करें।
(7) योजना का चयन करें तथा Submit पर Click करें।
(8) दर्ज मोबाईल नं० एवं E-mail ID पर User ID एवं Password प्राप्त होगा।
(9) प्राप्त User ID एवं Password का उपयोग कर वेब पोर्टल पर लॉग-इन करें।
(10) Password बदलने के विकल्प के साथ नया पेज खुलेगा। इसमें वर्तमान Password तथा नया Password (आप स्वयं चयन करें) दर्ज कर Submit पर Click करें।

निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण हुई
अब आप तत्काल या बाद में कभी भी इस User ID एवं नये Password से लॉग-इन कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया

(1) वेब पोर्टल www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जायें।
(2) अपने User ID एवं Password का उपयोग कर लॉग-इन करें।
(3) प्रदर्शित पेज पर व्यक्तिगत सूचना दर्ज कर Save as draft पर Click करें, फिर Submit पर Click करें। Confirm हेतु Ok पर Click करें।
(4) प्रदर्शित पेज में योजना का लाभ लेने हेतु वांछित सूचनाएँ दर्ज करें।
(5) प्रत्येक घोषणा के विरूद्ध बने बॉक्स को Tick करें तथा Preview पर Click करें। भरे हुए फॉर्म का Preview देखने के बाद Preview Page को Close करें और Submit पर Click करें।
(6) आवेदन की पावती Unique User ID के साथ मोबाईल नं० तथा E-mail ID पर प्राप्त होगी तथा आवेदन की PDF प्रति भी E-mail ID पर प्राप्त होगी।

ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई
Online आवेदन के बाद चयनित जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) पर किसी भी कार्य दिवस को आकर कागजातों का सत्यापन करा सकते है।

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने से पूर्व

(1) अपने E-mail से अथवा वेब पोर्टल पर अपने User ID एवं Password से Login कर आवेदन की PDF प्रति डाउनलोड करें।
(2) PDF प्रति में निर्धारित स्थान पर फोटो चिपकायें एवं आवेदन को हस्ताक्षरित करें।
(3) आवेदन की PDF प्रति में वर्णित वांछित कागजातों के अनुसार उसकी मूल प्रति एकत्र कर लें तथा पूरे सेट की एक छायाप्रति भी तैयार करें।
(4) कागजातों की छायाप्रति को स्व-अभिप्रमाणित करें।
(5) फोटोयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन की PDF प्रति, सभी मूल कागजात तथा सभी कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर जाकर अपने कागजातों का सत्यापन करा लें।
(6) कागजातों के सत्यापन के पश्चात् इसकी मूल प्रति वापस कर दी जाएगी तथा सत्यापन एवं निबंधन संबंधी पावती रसीद आपको प्राप्त होगा।

निबंधन एवं आवेदन करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ

(1) वेब पोर्टल पर अपना वही नाम दर्ज करें जो मैट्रिक (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में अंकित है।
(2) ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी पर सभी सूचनाओं को भर कर रख लें ताकि ऑनलाईन फार्म भरना आसान हो।
(3) व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र में सही तथ्य भरें। गलत सूचना दर्ज करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
(4) अपना यूनिक आई०डी० नंबर याद रखें ताकि भविष्य में उसका उपयोग कर आपके द्वारा आवेदन के स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके।
(5) Submit बटन दबाने के पूर्व save as draft का बटन दबाकर दर्ज सूचनाओं को जाँच लें क्योंकि Submit बटन दबाने के बाद दर्ज व्यक्तिगत एवं वांछित सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकेगा।
(6) पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही Submit बटन दबायें।

सुगमतापूर्वक Online आवेदन हेतु

- अपना आधार कार्ड एवं आवासीय प्रमाण-पत्र बनवा लें।
- किसी अनुसूचित बैंक में अपना खाता खुलवा लें।
- अपना ई-मेल आई०डी० बनवा लें।
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अभिभावक/सह-अभिभावक का आधार कार्ड एवं ई-मेल आई०डी० बनवा लें।

इन योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए
Toll Free No. : 18003456444 पर सम्पर्क करें।

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर Online आवेदन करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।